असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

13 मार्च, 2018

अध्यक्ष : आप मंत्री जी, जॉच कराकर आप बताइयेगा ।

श्री सदानन्द सिंह : नहीं, प्रतिवेदन दें आपको ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अब ध्यानाकर्षण सूचना ।

श्री जिवेश कुमार : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय विधायक फराज फातमी जी डेली अपना साईन करते हैं उपस्थिति रजिस्टर पर और हमारा हाजिरी डेली काट देते हैं ।

ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री राजीव नन्दन, जिवेश कुमार एवं अन्य बारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री राजीव नन्दन जी की सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग ।

श्री बृज किशोर बिन्द, मंत्री : महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के नवीन एवं नवीकृत छात्रवृत्ति हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए विभागीय पत्रांक-183 दिनांक-23.01.2018 PR No-1250 (Welfare) 2017-18 के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र National Scholarship Portal Version-2.0(NSP-2.0) के वेबसाईट https://scholarship.gov.in के माध्यम से दिनांक-08.02.2018 से दिनांक-28.02.2018 तक आमंत्रित किए गए थे, जिसे विभागीय पत्रांक-440 दिनांक-28.02.2018 के द्वारा दिनांक-20.03.2018 तक विस्तारित किया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

सर्वश्री अशोक कुमार, वीरेन्द्र कुमार एवं श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [सामान्य प्रशासन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री अशोक कुमार(क्षेत्र सं0 208) : महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-9529, दिनांक- 01.07.15 द्वारा सभी सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सचिव, बिहार लोग सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार सहित राज्य के सभी विभागों, निकायों को निर्देश जारी किया गया है कि सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थी, जो लिखने में

सक्षम नहीं हैं, को श्रुतिलेखक की सुविधा उपलब्ध करायी जाय । राज्य के किसी भी विभाग, आयोग, निकाय द्वारा श्रुतिलेखक का कोई पूल नहीं बनाया गया है जिसके कारण किसी भी परीक्षा में सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक नहीं मिल पा रहा है और वे परीक्षा से वंचित हो जा रहे हैं ।

अतः राज्य के सभी विभागों, आयोग, निकायों में सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिये श्रुतिलेखक का पूल बनाये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर ।

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ ....

अध्यक्ष : समय चाहिये तो फिर अभी क्या पूछना है ?

श्री समीर कुमार महासेठ : विभाग के मंत्री चले गये, डिप्टी सी0एम0 भी चले गये.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप समीर जी, अब तो पुराने हुये । सरकार, सरकार होती है, वित्त मंत्री ही सरकार नहीं होते हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, आपका संरक्षण चाहिये । पूरे देश में बिहार विकलांग और दिव्यांग में नम्बर वन आ रहा है, अगर सरकार समय ले रही है तो इसपर सही ढंग से सोचकर आवे ।

अध्यक्ष : समीर जी, अगर आपको आसन का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो यह ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत कैसे होती ?

(व्यवधान)

सर्वश्री मनीष कुमार, रामप्रीत पासवान एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [वित्त विभाग / ग्रामीण विकास विभाग] की ओर से वक्तव्य।

श्री मनीष कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार के लोक कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की राशि जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार से विभागों या जिलों को प्राप्त होती है, को वित्त विभाग के निर्देश के विपरीत निजी बैंकों में जमा करायी जाती है । वित्त विभागीय पत्रांक-5268, दिनांक-16.06.15 के अनुसार वैसे सभी बैंक खाते जो वित्त विभाग की सहमति के बिना खोले गये हैं, में बिहार कोषागार संहिता के नियम-34 का उल्लंघन हुआ है ।

उदाहरणस्वरूप ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं की राशि ऐसे खास निजी बैंकों में जमा करायी जाती है जो दूसरे निजी बैंकों से कम ब्याज दर पर सरकार को देती है । एक ओर तो राष्ट्रीय बैंक में सरकारी राशि जमा नहीं करायी जाती है, वहीं दूसरी ओर कुछ खास निजी बैंक में सरकारी राशि जमा कराकर सरकार को राजस्व की हानि पहुँचायी जा रही है ।

अतएव दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं ज्यादा ब्याज दर देने वाली राष्ट्रीयकृत बैंक में सरकारी राशि जमा करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, यह मामला कई विभागों से संबंधित है, इसमें समय चाहिये ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)